खण्ड-9 संख्या-5

नवम् बिहार विधान-सभा

विधान-सभा वादवृत्त

भाग-1, कार्यवाही प्रश्नोत्तर

वृहस्पतिवार, तिथि 30 जून, 1988 ई0

सिंह ने मात्र 3000 (तीन हजार) ही सरकार के यहां जमा किया और जमीन में लगे फसल को काटकर ले गये जिसकी रिपोर्ट व रुपये की वसूली हेतु अंचलाधिकारी, राघोपुर ने निलाम पत्र पदाधिकारी, हाजीपुर को दी, जिसका केस नं०-1/86-87 है;

3. क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा उक्त शेष रकम की वसूली 31 मार्च; 88 तक कर देने का आदेश दिया गया था जिसे आज तक कार्यान्वित नहीं किया जा सका है;

3. उत्तर स्वीकारात्मक है।

वस्तुस्थिति यह है कि राशि की वसूली के लिए कुर्की जप्ती वारंट निर्गत किया गया था जिसकी अवधि 31-3-88 तक थी उक्त तिथि तक वसूली नहीं होने के कारण 30-6-88 तक अवधि बढ़ाई गई है।

4. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त रकम की वसूली यथाशीघ्र करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों?

4. प्रश्न के खंड-3 के उत्तर से यह स्पष्ट है कि नीलाम पत्र वाद सं०-1/86-87 के द्वारा संबंधित राशि की वसूली की कार्रवाई की जा रही है।

शेष वार्डों में जलापूर्ति की व्यवस्था

670. श्री मो० मुश्ताक : क्या मंत्री, नगर विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि : 1. क्या यह बात

श्री श्याम सुन्दर सिंह "धीरज" : 1. वस्तुस्थिति यह है कि किशनगंज नगरपालिका का गठन वर्ष 1987 में

सही है कि पूर्णिया जिला में किशनगंज नगरपालिका 1987 से ही है;

2. क्या यह बात सही है कि उक्त नगरपालिका में कुल 32 वार्ड हैं जिनमें से केवल 9 वार्डों में ही आंशिक रूप से जलापूर्त्ति की जा रही है, शेष वार्डों के एक भी मुहल्ला में आजतक जलापूर्त्ति की व्यवस्था नहीं की गई है;

3. क्या यह बात सही है कि अधीक्षण अभियन्ता लो०स्वा०अभि० अंचल, पूर्णिया ने वर्ष 85-86 में जलापूर्त्ति में सुधार के लिए नया पानी टंकी निर्माण का प्रस्ताव सरकार के पास स्वीकृति के लिए भेजा है;

4. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार नये पानी टंकी का निर्माण कर उक्त नगरपालिका के शेष 23 वार्डों में भी जलापूर्त्ति की व्यवस्था करने का विचार रखती है, हां तो कबतक और नहीं तो क्यों?

नहीं बल्कि वर्ष 1887 में हुआ है।

2. प्रश्न के प्रथम खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है। मात्र 19 वार्डों में ही आंशिक रूप से जलापूर्त्ति की जा रही है। शेष 13 वार्डों में जलापूर्त्ति व्यवस्था नहीं है।

3. दो अदद नलकूपों के निर्माण हेतु मई 1985 में लोक स्वा० अभि० विभाग से 5,84,600/- रुपये की प्राक्कलित राशि की योजना प्राप्त हुई थी।

4. अक्टूबर 1985 में उक्त योजना की प्रशासनिक स्वीकृति देते हुए 2,50,000/- रुपये आवंटित किया गया था तथा शेष 3,34,000/- रु० वर्ष 1986-87 में आवंटित किया जा चुका है। योजना का कार्यान्वयन लोक स्वा० अभि० विभाग द्वारा किया जाना है।